न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 86/2025 बउनवानी हेमा मीना बनाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

GCMS No-2025/ 251 **Appeal Number- 321503224491741**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
24.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 12.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "*उपखण्ड गंगापुर सिटी के अधीन समस्त सरकार के वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दिनांक 12.7.2025 तक भवन वाहन, फ्रीज, जमीन खरदने की स्वीकृति लेने की तथा कार्मिको के नाम पदनाम, स्थान, गांव, शहर, मय मोबाईल नम्बर व मार्च,2025 की चल अचल सम्पत्ति की प्रमाणित सूचना*" अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः आरटीआई/2025/875 दिनांक 23.9.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने एवं चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित कर पुनः नये सिरे से आवेदन पेश करने बाबत लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 529 दिनांक 14.7.2025 से लिखा जाने के उपरान्त भी अपीलान्ट द्वारा आदिनांक तक पूर्ण विवरण का आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी के समक्ष पेश नही किया है जिसके कारण अपीलान्ट के वांछित सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 12.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण वांछित सूचना का पूर्ण विवरण अंकित करने बाबत लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को लिखा जाने के उपरान्त भी अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही किया है जिसके कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner